

28.11.2023 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह आर्य उपस्थित आये। 63ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियुक्त की हाजिरी माफी दी गयी। आज के लिये स्वीकृत। 64ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 20.12.2023 को पेश हो।

रीना नेगी  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल